


पश्चिमी घाट

पश्चिमी घाट

भारत के चार जैवविविधता हॉटस्पॉट में से एक; यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त (2012)



नाम

- सहाय्री- उत्तरी महाराष्ट्र; सह्य पर्यंतम- केरल

पर्वत प्रकार के बारे में विविध दृष्टिकोण

- दृष्टिकोण 1: अरब सागर में भूमि के एक हिस्से के नीचे की ओर मुड़ने के कारण बने वाले भ्रंशोत्थ पर्वत
- दृष्टिकोण 2: वास्तव में पर्वत नहीं बल्कि दक्कन के पठार के भ्रंशोत्थ कगार/किनारे

प्रमुख चट्टानें

- बेसाल्ट, ग्रेनाइट नीस, खोंडालाइट, कार्यांतरित नीस, क्रिस्टलीय चूना पत्थर, लौह अयस्क

भौगोलिक विस्तार

- सतपुड़ा (उत्तर में) से तमिलनाडु के अंत तक कन्याकुमारी (दक्षिण में)

पर्वत श्रृंखलाएँ

- नीलगिरि पर्वतमाला, शेवाराँय और तिरुमाला श्रृंखला
- सबसे ऊँची चोटी- अनापुडी (केरल)

नदियाँ (उद्गम)

- पश्चिम की ओर बहने वाली: पेरियार, भरतपुड़ा, नेत्रवती, शरावती, मंडोवी
- पूर्व की ओर बहने वाली: गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगा, भद्रा, भीमा, मालप्रभा, चाटप्रभा, हेमवती, काविनी

स्थानिक प्रजातियाँ

- नीलगिरी तहर (IUCN स्थिति - EN)
- शेर पूंछ मकाक (IUCN स्थिति - EN)

महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र

- बायोस्फीयर रिज़र्व- अगस्त्यमाला और नीलगिरी
- राष्ट्रीय उद्यान- साइलेंट वैली, बांदीपुर, एराविकुलम, वायनाड-मुदुमलाई, नागरहोल
- बाघ अभयारण्य- कलक्कड़-मुंडनथुराई, पेरियार

प्रमुख दरें

- थाल घाट दर्रा (कसारा घाट)
- भोर घाट दर्रा
- पलक्कड़ दर्रा (पाल घाट)
- अम्बा घाट दर्रा
- नानेघाट दर्रा
- अम्बोली घाट दर्रा

महत्त्व

- जलविद्युत उत्पादन
- भारतीय मानसून मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है
- कार्बन पृथक्करण (हर साल ~ 4 MT कार्बन को निष्प्रभावी बनाना)
- जैवविविधता के 8 वैश्विक सबसे महत्त्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक (प्रजातियों और स्थानिकता की समृद्धि के कारण)
- लोहा, मँगनीज और बॉक्साइट अयस्कों, इमारती लकड़ी, काली मिर्च, इलायची, ऑयल पाम और रबर से समृद्ध
- सर्वाधिक आदिवासी आबादी (PVTGs सहित)
- महत्त्वपूर्ण पर्यटन/तीर्थस्थल

प्रमुख खतरे

- खनन, औद्योगीकरण
- वनोपज का बड़े पैमाने पर दोहन
- मानव-वन्यजीव संघर्ष, अतिक्रमण, अवैध शिकार
- पशुओं की चराई, वनों की कटाई
- बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ
- जलवायु परिवर्तन

प्रमुखी समितियाँ

- गाडगिल समिति (2011) (पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समिति)
 - सिफारिशें: श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में सीमित विकास के साथ समूचे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के रूप में घोषित किया जाना चाहिये।
- कस्तूरिंगन समिति (2013)
 - सिफारिश: समूचे क्षेत्र के वजाय, पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ESA के तहत लाया जाए + ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

